अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं हेतु ऑनलाईन दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है–

छात्रिवत्ति आवेदन के लिए पात्रताः

- उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय/प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
- छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत न हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता व अभिभावकों की समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रु0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र), अन्य पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता व अभिभावकों की समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)
- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरते समय सही संस्थान जिसमें अध्ययनरत हों, का ही चयन करें ।
- प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरी जानकारी यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप है तो सम्बन्धित संस्थान अपने स्तर से छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेगें, जिस जिले का छात्र/छात्रा मूल/स्थायी निवासी है।
- छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाईन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
- यह छात्रवृत्ति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनार्न्तगत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को किया जाता है । अशासकीय/व्यवसायिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए अशासकीय विद्यालय के छात्रों तथा व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत हुआ हो, ऐसे छात्रों को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अरोही क्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ती का सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को किया जाता है, तदोपरान्त धनराशि की उलब्धता के

आधार पर उत्तराखण्ड के अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

- अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना है अतः इस योजना के अन्तर्गत, तथा उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद .ई.टी.सी.एन / .आई.सी.एम / ई.टी.सी.आई.ए आदि कोर्सों में अध्ययनरत केवल ऐसे छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा जिनका प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हुआ हो न की छात्राओं का प्रवेश मैनेजमेंट कोटे से हुआ हो।

दशमोत्तर अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन हेतु स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज–

- माता–पिता / अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 वर्ष से अधिक पुराना न हो)
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल की अंक तालिका
- पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका / प्रमाण पत्र
- वर्तमान शैक्षणिक संस्थान का बोना फाईड प्रमाण पत्र
- सी०बी०एस० खाते की बैंक पासबुक
- काउंसलिंग प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति हेतु)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु)

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रिचत चनम्न दरों एर्ािमानकों के आधार पर प्रदान की जाती है:–

छात्रवृत्ति के मानक				अवधि
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता– पिता की वार्षिक आय सीमा	(अधिकतम)
	हॉस्टलर	डेस्कॉलर		
समूह–1	रू0 1200 / –	रू0 550 / –	रू0 2. 50 / – लाख तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए	प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद

				हुआ है तो अगले माह से छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी)
औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इन्जीनीयरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु–चिकत्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान वाणिज्यिक, पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधान)।				
समूह –2	रू.820	रु.530		
समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर (एम. फिल,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए. / आई.सी.डब्लू ए / सी एस आकदमिक पाठ्यक्रम । सभी स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम				
समूह – 3	रू.570	रु.300		
स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह 1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये हैं)				

समूह – 4	रू.380	रु.230		
समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 1+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा जैसे ग्रेज्युएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई. टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो)				

- पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रिवृत्ति निम्न दरों एवं मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैः–

छात्रवृत्ति के मानक				अवधि
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता– पिता की वार्षिक आय सीमा	(अधिकतम)
	हॉस्टलर	डेस्कॉलर		
समूह–1	रू0 750/–	रू0 350/–	रू0 1.50/– लाख	प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी)
औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इन्जीनीयरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु–चिकत्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान वाणिज्यिक, पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इांजन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधान)।				

समूह –2	रू.510	रु.335		
समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर (एम. फिल,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्लू ए/सी एस आकदमिक पाठ्यक्रम । सभी स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम				
समूह – 3	रू.400	रु.210		
स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह 1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये हैं)			रू0 1.50/– लाख	
समूह – 4	रू.260	रु.160		
समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 1+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा जैसे ग्रेज्युएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई. टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो)				